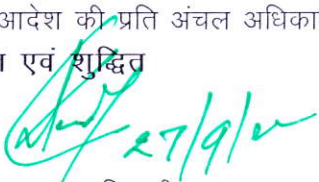
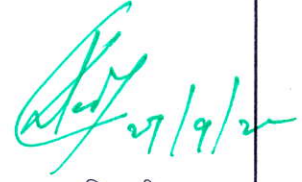
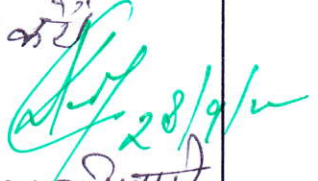


आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
27.09.22	आदेश प्रस्तुत पी०ए० वाद संख्या-142/2008-09, 40/2009-10 बीरबल कुमार सेन एवं चित चन्द्र सेन में दिनांक-08.08.2012 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक-चित चन्द्र सेन, पिता-वणीकान्त सेन को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-5 के तहत मौजा-डेलीपाथर, थाना नं०-381 का प्रधान नियुक्त किया गया था। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध बीरबल कुमार सेन द्वारा उपायुक्त, देवघर के न्यायालय में राजस्व विविध अपील सं०-59/2012-13 दायर किया गया। उक्त अपीलवाद में उपायुक्त देवघर द्वारा दिनांक-05.12.2017 को पारित आदेश में इस न्यायालय के पी०ए० वाद संख्या-142/2008-09, 40/2009-10 में दिनांक-08.08.2012 को पारित आदेश को रद्द करते हुए, संबंधित मामलें में पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु पुनर्प्रेषित किया गया है। उपायुक्त, देवघर द्वारा दिनांक-05.12.2017 को पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत 142/2008-09, 40/2009-10 बीरबल कुमार सेन एवं चित चन्द्र सेन साकिन-डेलीपाथर, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर के संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-5 के तहत मौजा-डेलीपाथर, थाना नं०-381 का प्रधान नियुक्ति सम्बद्ध अभिलेख पर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, मधुपुर से ज्ञापांक-257/डी०बी० दिनांक-20.04.2019 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक-284/रा०, दिनांक-19.06.2019 के द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-5 के तहत मौजा-डेलीपाथर, थाना नं०-381 का प्रधान नियुक्ति हेतु जमाबंदी रैयतों की सूची की माँग अंचल अधिकारी, मधुपुर से ज्ञापांक-401/डी०बी० दिनांक-20.07.2019 के द्वारा की गई, जो उनके पत्रांक-380/रा०, दिनांक-02.08.2019 के द्वारा प्राप्त है। जमाबंदी रैयतों की सूची पर आपत्ति के उपरांत पुनः अंचल अधिकारी, मधुपुर से ज्ञापांक-326/डी०बी० दिनांक-12.11.2020 के द्वारा माँग किया गया, जो उनके पत्रांक-36/रा०, दिनांक-21.01.2021, पत्रांक-531/रा०, दिनांक-25.10.2021 एवं पत्रांक-623/रा०, दिनांक-29.08.2022 के द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी, मधुपुर के पत्रांक-961, दिनांक-15.12.2008, एवं पत्रांक-157, दिनांक-24.03.2012 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा-डेलीपाथर, थाना नं०-381 एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के अंतिम प्रधान हरिपद सेन थे, जो अपने जीवित काल में ही गांव छोड़कर पं० बंगाल के वर्द्धमान जिला में जाकर बस गये हैं, उनका वंशज ग्राम-डेलीपाथर में बसोवास नहीं करते हैं। आवेदक-बीरबल कुमार सेन मौजा-धमनी में एवं चित चन्द्र सेन निवास मौजा-डेलीपाथर में निवास करते हैं। मौजा में जमाबंदी रैयतों की कुल संख्या-24 है एवं वार्षिक लगान-400.00 (चार सौ) रुपये अलावे सेस है। अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मौजा-डेलीपाथर के सोलह आना रैयत नोटिश कर सूचित किया गया कि मौजा-डेलीपाथर, थाना नं०-381 का प्रधान नियुक्ति हेतु आवेदक बीरबल कुमार सेन एवं चित चन्द्र सेन के अलावे यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रधान पद के लिए इच्छुक है तो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-5 के तहत दिनांक-29.08.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन दे सकते हैं। उक्त तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर एक अन्य आवेदक पवन कुमार मंडल, पिता-रोहन मंडल, ग्राम-डेलीपाथर द्वारा प्रधान नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया, जमाबंदी नं०-13 के वंशज है, जो अभिलेखबद्ध है।	

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
	संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-5 के तहत मौजा-डेलीपाथर, थाना नं०-381 का प्रधान नियुक्ति हेतु आवेदक वीरबल कुमार सेन, चित चन्द्र सेन एवं पवन कुमार मंडल के पक्ष में उक्त मौजा के कुल-24 जमाबंदी रैयत के वंशज को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया, जो अभिलेखबद्ध है। मौजा-डेलीपाथर, थाना नं०-381 का प्रधान नियुक्ति हेतु आवेदक वीरबल कुमार सेन, चित चन्द्र सेन एवं पवन कुमार मंडल के पक्ष में मतदान प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उपस्थित कुल-17 रैयतों में से आवेदक-पवन कुमार मंडल के पक्ष में 11 रैयतों एवं चित चन्द्र सेन के पक्ष में 06 रैयतों द्वारा सहमति जताई गई है। अंचल अधिकारी, मधुपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं रैयतों के सहमति उपरांत आवेदक-पवन कुमार मंडल, पिता-रोहन मंडल, साकिन-डेलीपाथर, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-5 के तहत मौजा-डेलीपाथर, थाना नं०-381 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। तदनुसार आवेदक कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें, तत्पश्चात् नियुक्त प्रधान को पट्टा निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधुपुर को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित  अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।  अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। 28.9.22 आवेदक नियुक्त प्रधान द्वारा कबुलियत एवं सुरक्षित राशि दारिजल किया गया। पट्टा निर्गत करें।  अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर।	आपने 18/9/22 दिनांक 28.9.22 पट्टा जमा Anuman Kumar manded पट्टा